छत्तीसगढ़ शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

सुश्री लता उसेंडी

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

विवरणिका

क	विषयवस्तु	पृ.क.
	विभागीय संरचना	
1	प्रशासकीय विभाग	1
2	संचालनालय महिला एवं बाल विकास	2
3	राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र	3
4	क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान	4
5	मैदानी कार्यालय - जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय	5
6	मैदानी कार्यालय - जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय	6
7	मैदानी कार्यालय - समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय	7
8	मैदानी कार्यालय (संस्थायें) - नारी निकेतन	8
9	मैदानी कार्यालय (संस्थायें) - बाल संरक्षण गृह, झूलाघर	9
10	विभाग के अधीन अन्य उपक्रम - छत्तीसगढ़ महिला कोष	10
11	विभाग के अंतर्गत आयोग - छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग	11
12	महिला एवं बाल विकास विभाग - सामान्य परिचय, विभागीय दायित्व	12
	विभागीय योजनाएँ/कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ	
13	समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)	13
14	आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं में गुणवत्ता उन्ननयन के प्रयास एवं परिणाम	14-15
15	आंगनवाड़ी भवन निर्माण	16
16	राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह संसाधन केन्द्र एवं क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान	17
17	किशोरी शक्ति योजना	18
18	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार	18
19	समेकित बाल विकास परियोजनाओं में पोषण आहार की व्यवस्था	19-20

क	विषयवस्तु	पृ.क.
	महिलाओं एवं बालक–बालिकाओं के लिये अन्य कल्याणकारी योजनायें एवं संस्थायें	
20	छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना	21
21	आयुष्मति योजना	21
22	दत्तक पुत्री शिक्षा योजना	22
23	महिला जागृति शिविर	22
24	स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान	22
25	राज्य वीरता पुरस्कार	23
26	शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक/बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति	23
27	महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन	23
28	नारी निकेतन	24
29	शासकीय बाल संरक्षण गृह	24
30	शासकीय झूलाघर	24
31	बालबाड़ी सह संस्कार केन्द्र	24
32	मातृ कुटीर	25
	केन्द्र शासन की अन्य योजनायें	
33	कामकाजी महिलाओं के लिये महिला वसति गृह	25
34	स्वाधार	25
35	स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य सहायता अनुदान	25
36	स्वयंसिद्धा (एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम)	26
37	राज्य महिला आयोग	27
38	राज्य समाज कल्याण बोर्ड	28
39	छत्तीसगढ़ महिला कोष	29–30
40	अन्य विविध कार्यवाहियाँ	31
41	वर्ष 2006–07 के बजट का समग्र विश्लेषण	32–34

विभागीय संरचना

प्रशासकीय विभाग

सचिव

↓

विशेष सचिव

↓

उप सचिव

↓

लिपिकीय
एवं
अन्य अमला

संचालनालय
महिला एवं बाल विकास

आयुक्त/संचालक (आई.ए.एस.)

↓

संयुक्त संचालक (2 पद)
(12000-16500)

↓

उप संचालक (3 पद)
(10000-15200)

↓

सहायक संचालक (5 पद)
(8000-13500)

↓

लेखााधिकारी (2 पद)
(8000-13500)

↓

सहायक सांख्यिकीय अधिकारी (2 पद)
(5500-9000)

↓

सहायक प्रोग्रामर(1 पद)
(5500-9000)

↓

लिपिकीय (22 पद)

↓

अलिपिकीय (9 पद)

राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र

संचालक (1पद)
(12000-16500)

↓

उप संचालक (1पद)
(10000-15200)

↓

सहायक संचालक(फैकल्टी मेम्बर) (6पद)
(8000-13500)

↓

प्रशासनिक अधिकारी सह लेखाधिकारी (1पद)
(8000-13500)

↓

लिपिकीय (5पद)

↓

अलिपिकीय अमला (3 पद)

क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान

(बिलासपुर, जगदलपुर)

उपसंचालक (2 पद)
(10000-15200)

↓

सहायक संचालक(फैकल्टी मेम्बर)(6 पद)
(8000-13500)

↓

सहायक लेखाधिकारी (02 पद)
(5000-8000)

↓

लिपिकीय(2 पद)

↓

अलिपिकीय अमला(2 पद)

मैदानी कार्यालय

जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय

जिला कार्यक्रम अधिकारी (14 पद)
(10000-15200)

सहायक कार्यक्रम अधिकारी(5 पद)
(8000-13500)

कार्यक्रम समन्वयक (7 पद)
(8000-13500)

सहायक सांख्यिकी अधिकारी (14 पद)
(5500-9000)

लिपिकीय(42 पद)

अलिपिकीय(28 पद)

मैदानी कार्यालय

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी (16 पद)
(8000-13500)

↓

लिपिकीय(32 पद)

↓

अलिपिकीय(32 पद)

मैदानी कार्यालय
समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय

बाल विकास परियोजना अधिकारी (158 पद)
(5500-9000)

↓

सहायक सांख्यिकी अधिकारी (6 पद)
(5500-9000)

↓

सहायक परियोजना अधिकारी (103 पद)
(5000-8000)

↓

पर्यवेक्षक(1397 पद)
(4000-6000)

↓

लिपिकीय (536 पद)

↓

अलिपिकीय (531 पद)

↓

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता (29437 पद)

↓

आंगनवाड़ी सहायिका (29437 पद)

↓

आंगनवाड़ी सहायिका
(मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र 836 पद)

नारी निकेतन

(रायपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा)

अधीक्षिका(3 पद)
(8000-13500)

↓

महिला शिक्षिका (3 पद)
(4000-6000)

↓

क्राफ्ट शिक्षिका(3 पद)
(4000-6000)

↓

लिपिकीय (3 पद)

↓

अलिपिकीय (12 पद)

<u>बाल संरक्षण गृह</u>

(रायपुर,दुर्ग,बिलासपुर,जांजगीर,जगदलपुर)

अधीक्षिका(5 पद)
(4500-7000)

↓

मान्टेसरी शिक्षिका (5 पद)
(3050-4590)

↓

बालवाड़ी शिक्षिका (4 पद)
(3050-4590)

↓

लिपिकीय (5 पद)

↓

अलिपिकीय (32 पद)

<u>झूलाघर</u>

(रायपुर,बिलासपुर)

नर्स(2 पद)
(3050-4590)

↓

अलिपिकीय(4 पद)

विभाग के अधीन अन्य उपक्रम

छत्तीसगढ़ महिला कोष

पदेन अध्यक्ष	सुश्री लता उसेन्डी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिला एवं बाल विकास विभाग
पदेन कार्यपालक निदेशक	श्री जवाहर श्रीवास्तव सचिव, छ.ग.शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग

स्वीकृत पद संरचना

महाप्रबंधक(1 पद)
(10000-15200)

↓

प्रबंधक(3 पद)
(8000-13500)

↓

लेखाधिकारी(1 पद)
(8000-13500)

↓

लिपिकीय (3 पद)

↓

अलिपिकीय (3 पद)

राज्य महिला आयोग

अध्यक्ष	श्रीमती सुधा वर्मा
सदस्य	श्रीमती शकुन्तला सिंह
सदस्य	श्रीमती हेमलता साहू
सदस्य	श्रीमती शताब्दी पाण्डे
सचिव	श्री एस.के.केहरी

स्वीकृत पदसंरचना

- अध्यक्ष हेतु
  - निज सचिव(1 पद) (5000-8000)
    - लिपिक(1 पद) (3050-4590)
      - अलिपिकीय(3 पद)
- सदस्यों हेतु
  - निज सहायक(2 पद) (4000-6000)
    - अलिपिकीय (2पद)
- कार्यालय हेतु
  - उपसचिव(1 पद) (12000-16500)
    - विधि अधिकारी(1पद) (8000-13500)
      - अनुभाग अधिकारी(1पद) (6500-10500)
        - लिपिकीय(8 पद)
          - अलिपिकीय(6 पद)

महिला एवं बाल विकास विभाग

सामान्य परिचय

प्रस्तावना

महिलाओं तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास किसी भी समाज, प्रदेश व राष्ट्र के विकास की मूलभूत आवश्यकता होती है, जिसकी धुरी पर संपूर्ण विकास केन्द्रित होता है। अत: महिलाओं और बच्चों के संवैधानिक हितों के संरक्षण तथा उनके विकास और कल्याण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने एवं गति देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया है।

विभाग के दायित्व

1. प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक,आर्थिक,स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना।
2. बच्चों के शारीरिक,मानसिक,बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना, कुपोषण से बचाना।
3. महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिये उन्हें सक्षम तथा जागरूक बनाना।
4. प्रदेश मे विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं व बच्चों के सर्वागींण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना।
5. महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु महिला सशक्तिकरण नीति के क्रियान्वयन का समन्वय।

विभागीय योजनाएँ/कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ

समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)

परिचयः-

भारत सरकार ने वर्ष 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किये जाते हैं।

समेकित बाल विकास सेवा योजना के संचालन के उद्‌देश्य :-

1. बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव रखना।
2. छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना।
3. मृत्यु-दर,रूग्णता, कुपोषण और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना।
4. बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना।
5. उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिये माताओं की क्षमता बढ़ाना।

आंगनवाड़ी केन्द्रों व्दारा दी जाने वाली सेवायें

1. पूरक पोषण आहार
2. टीकाकरण
3. स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा
4. स्वास्थ्य जांच
5. शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
6. संदर्भ सेवा

संकेन्द्रण (Convergence)

आंगनबाड़ी केन्द्रों में इन 6 सेवाओं के साथ-साथ अन्य समर्थन सेवाओं जैसे, सुरक्षित पेयजल, पर्यावरणीय स्वच्छता, महिला शक्ति सम्पन्नता आदि सेवाओं का संकेन्द्रण भी किया जाता है, ताकि एकीकृत रूप से समस्त सेवाओं का लाभ अधिकतम हितग्राहियों तक पहुँचाया जा सके ।

आंगनबाड़ी केन्द्र के लक्षित हितग्राही हैं:-

- 0-6 वर्ष के बच्चे,
- किशोरी बालिका,
- गर्भवती महिला,
- शिशुवती महिला।

छत्तीसगढ़ राज्य में सेवाओं का विस्तार:-

छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 158 बाल विकास परियोजनाएँ स्वीकृत हैं । जिनमें से 11 शहरी क्षेत्र में तथा समस्त 146 विकासखण्डों में 147 परियोजनाएँ स्वीकृत हैं । इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 29,437 आँगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं ।

आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं में गुणवत्ता उन्ननयन के प्रयास

कुपोषण एक सामाजिक, आर्थिक समस्या है। इसमें कमी लाने के लिये समुदाय की मानसिकता में बदलाव एवं खानपान के प्रचलित आदतों में परिवर्तन तथा आय वृद्धि आदि के समेकित प्रयास किये जाने आवश्यक है। समुदाय की सहभागिता के बिना कुपोषण की समस्या पर काबू पाना कठिन है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विगत समय में निम्नांकित प्रयास किये गये हैं :-

1. **सामुदायिक सहभागिता आधारित कार्यक्रम:-** आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवाओं में जन-सहभागिता सुनिश्चित करने तथा शासकीय आंगनबाड़ी केन्द्र को समुदाय आधारित आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए आंगनबाड़ी में सामुदाय आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा हैं। प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में महिला स्व-सहायता समुहों तथा आम जन के सहयोग से बाल भोज, गर्भवती माताओं की गोद भराई, बच्चों का अन्न-प्राशन, जन्मदिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जन-समुदाय को आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा हैं।
2. **पोषण आहार दिवसों का विस्तार:-** कुपोषण मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने प्रदेश में पोषण आहार दिवसों का विस्तार करने का निर्णय लिया गया हैं। अब वर्ष में कुल 52 रविवार (साप्ताहिक अवकाश) तथा 7 घोषित अवकाश को छोड़कर शेष 306 दिन अनिवार्यत: पोषण आहार का वितरण किया जाएगा।
3. **पलायन एवं प्रवास के दौरान पोषण आहार की उपलब्धता:-** पलायन पर अथवा भ्रमण पर किसी अन्य गांव में आए 0-6 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती/धात्री महिलाएं पोषण आहार से वंचित न रहें, इस के लिए हितग्राहियों को पलायन एवं प्रवास के दौरान पोषण आहार उपलब्ध का निर्णय लिया गया । यदि किसी आंगनबाड़ी केन्द्र के क्षेत्र में किसी अन्य गांव के हितग्राही पलायन अथवा प्रवास पर आते हैं तो उन्हें अस्थायी रूप से आंगनबाड़ी केन्द्र में दर्ज किया जाएगा तथा पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा।
4. **आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वच्छता एवं व्यवस्था हेतु आकस्मिक व्यय राशि का आबंटन:-** आंगनबाड़ी केन्द्र में साफ-सफाई तथा सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 300 रू.के मान से सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए आकस्मिक व्यय राशि जारी की गई हैं।
5. **पक्के आँगनबाड़ी भवनों के रखरखाव व मरम्मत हेतु आबंटन :-** पक्के आँगनबाड़ी भवनों के रखरखाव व मरम्मत आदि कार्यो के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को 1200/- रू. तथा शहरी क्षेत्र में 6000/- रू. प्रतिवर्ष का आबंटन प्रदान किया गया है ।
6. **पोषण साक्षरता शिविर:-** कुपोषण के संबंध में जन-जागरूकता लाने के लिए प्रदेश की समस्त ग्रामीण एवं आदिवासी परियोजनाओं में पोषण साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा हैं। प्रत्येक परियोजना में 2 शिविरों का आयोजन किया जा रहा हैं। शिविर का आयोजन विकास खंड में दो स्थानों पर इस प्रकार किया जावेगा कि विकास खंड अंतर्गत सम्मिलित समस्त ग्राम-पंचायते इनसे लाभांन्वित हो सकें। शिविरों के आयोजन हेतु प्रत्येक परियोजना को 12000/-के मान से 17 लाख 52 हजार रूपये का आबंटन जारी किया गया हैं।

7. **कुपोषित बच्चों हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से टिफिन की व्यवस्था किये जाने का अनुरोध :-** आँगनबाड़ी केन्द्रो में 3 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को दुगना अर्थात 160 ग्राम पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है । किन्तु बच्चे आहार की अधिक मात्रा होने के कारण एक बार में नही खा सकते अतः ऐसे हितग्राहियों को आँगनबाड़ी केन्द्र आने पर एक बार सामान्य बच्चों के साथ पोषण आहार दिया जायेगा तथा शेष निर्धारित मात्रा आँगनबाड़ी केन्द्र से जाने के समय टिफिन में दिये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि वे उसे घर ले जाकर अच्छी तरह खा सकें । टिफिन बाक्स की व्यवस्था ग्राम पंचायत के सहयोग से की जायेगी । इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्रसारित किये गये हैं ।

आंगनबाड़ी केन्द्रों में गुणवत्ता उन्ननयन के प्रयासों के परिणाम

आंगनबाड़ी केन्द्र में किये गये गुणवत्ता उन्नयन के प्रयासों के फलस्वरूप कुपोषण की स्थिति में सुधार तथा शिशु मृत्यु दर कम करने में प्रदेश की स्थिति बेहतर है। इनकी जानकारी निम्नानुसार है:-

- एस.आर.एस. बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ में एम.आई.आर. (शिशु मृत्यु दर) 79, था, जो कि 2004 में घटकर 60 हो गया है।

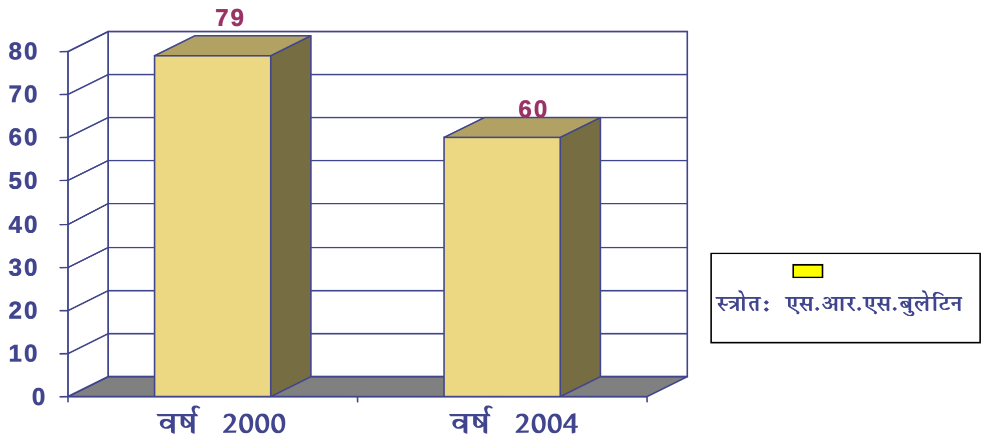

छत्तीसगढ़ में विगत वर्षो में शिशु मृत्यु दर में कमी

- एनएफएचएस-2 (वर्ष 1998) के अनुसार छत्तीसगढ़ में बच्चों में कुपोषण का स्तर 61 प्रतिशत था जो एनएफएचएस-3 (वर्ष 2005) के अनुसार घटकर 52 प्रतिशत हो गया है।

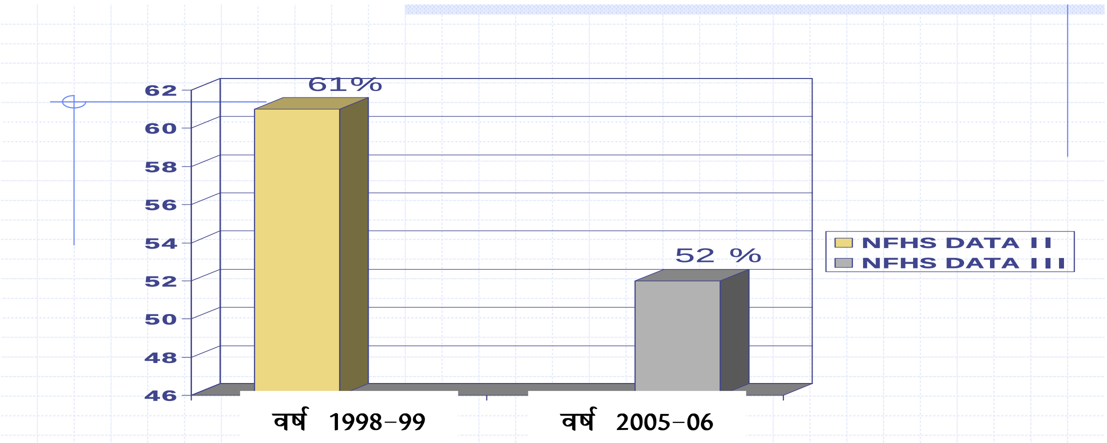

छत्तीसगढ़ में बच्चों में कुपोषण के स्तर में सुधार

आंगनवाड़ी भवन निर्माणः-

आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवाओं की गुणवत्ता के लिये स्वयं का भवन नितांत आवश्यक है। जिन स्थानों पर आंगनबाड़ी केन्द्र के लिये भवन नहीं है वहाँ हितग्राहियों को हो रही असुविधा को देखते हुए राज्य शासन व्दारा अधिकाधिक संख्या में आंगनवाड़ी भवन निर्माण के कार्य को प्राथमिकता दी गई है। वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक विभागीय बजट से आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निम्नानुसार स्वीकृतियाँ जारी की गई है :-

वर्ष	कुल स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों की संख्या	कुल राशि (राशि लाख में)
2003-04	2405	3006.25
2004-05	500	750.00
2005-06	755	1321.25
2006-07	700	1225.00

इसके अतिरिक्त ग्राम उत्कर्ष योजना तथा वित्त आयोगों की राशि से भी पक्के आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में प्रदेश में स्वीकृत कुल 29437 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 13970 केन्द्रों के लिये पक्के भवन स्वीकृत कर दिये गये हैं।

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह संसाधन केन्द्र एवं क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान

आईसीडीएस परियोजनाएँ वर्ष 1975 से प्रदेश में संचालित हैं । कार्यक्रम क्रियान्वयन के इन 30 वर्षो में महिला एवं बाल विकास के कार्य क्षेत्र में व्यापकता आई है । कार्यक्रम एवं योजनाएँ अब गुणवत्ता उन्नयन, सामुदायिक जागरूकता, सहभागिता एवं प्रभावी पहुँच पर केन्द्रित हो रहे हैं । विभाग अब स्वास्थ्य एवं पोषण के साथ सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर हो रहा है । इस बदलते हुए परिदृश्य के अनुरूप विभागीय अमले को प्रशिक्षित करने तथा ज्ञान एवं कौशल में गुणात्मक वृद्धि के लिए प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है । इसी प्रकार अन्य विभागो, जनप्रतिनिधियों, स्वेच्छिक संगठनों के लिए भी महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं तथा नीतियों के संबंध में प्रशिक्षण आवश्यक है । इसे देखते हुए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के संचालन के लिये विभाग द्वारा रायपुर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह संसाधन केन्द्र तथा जगदलपुर एवं बिलासपुर में क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त महिलाओं से जुड़े मुद्दे जैसे - स्वास्थ्य, पोषण, लिंगभेद, व्यवसायिक क्षमता विकास, महिला सशक्तिकरण, बाल उत्तरजीविता इत्यादि विषयों पर शोध एवं अनुसंधान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अब तक राज्य स्तर पर स्थापित प्रशिक्षण सह संसाधन केन्द्र के भवन निर्माण हेतु 2.00 करोड़ रूपये तथा जगदलपुर एवं बिलासपुर में क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान हेतु 50-50 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

- विभागीय मान्यता अनुदान तथा लेखा एवं बजट प्रशिक्षण
- मध्यान्ह भोजन के प्रभावी संचालन में स्व-सहायता समूह की भूमिका
- नव-नियुक्त आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण
- नव-नियुक्त आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण
- किशोरी शक्ति योजना के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
- कुपोषण के संबंध में प्रशिक्षण

क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण :-

- आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मूलभूत/प्रत्यास्मरण प्राक्षिक्षण
- नव-नियुक्त आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण
- किशोरी शक्ति योजना के लिए पर्यवेक्षकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण

क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान जगदलपुर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण :-

- नव-नियुक्त आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 30 दिवसीय मूलभूत प्रशिक्षण
- नव-नियुक्त आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के इंडक्शन प्रशिक्षण हेतु पर्यवेक्षकों का मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण
- किशोरी शक्ति योजना के लिए पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण

एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कार्यरत अमले को प्रशिक्षित करने तथा उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत शासन के सहयोग से आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश मे संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 07 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र वर्तमान में संचालित है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन अशासकीय संस्थाओं

के माध्यम से किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मूलभूत तथा प्रत्यास्मरण एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जाता है।

किशोरी शक्ति योजना

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 11-18 वर्ष की बालिकाओं के लिये यह योजना प्रारंभ की गई हैं। इसके अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को आंगनवाड़ी में संलग्न कर स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल तथा अन्य आवश्यक विषयों पर प्रशिक्षण, पूरक पोषण आहार, रक्ताल्पता होने पर आयरन फोलिक एसिड, टीकाकरण (टी.टी.), स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा आदि की यथासम्भव व्यवस्था किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। यह योजना वर्तमान में 152 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में संचालित हो रही है। किशोरी शक्ति योजना के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर भारत शासन के निर्देशानुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

किशोरी शक्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक परियोजना को 1.10 लाख रूपये के मान से 167.20 लाख रूपये का आबंटन जारी किया गया है। प्रत्येक परियोजनाओं में 300 किशोरी बालिकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों से संलग्न कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योजना के प्रचार-प्रसार हेतु सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्ययोजना की मुद्रित प्रति उपलब्ध कराई गई है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सतत् मार्गदर्शन निरीक्षण एवं अनुश्रवण का दायित्व राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र, क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों एवं राज्य में संचालित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र की मुख्य निर्देशिका को सौंपा गया है।

इस वर्ष की कार्ययोजना में किशोरी बालिकाओं को आय उपार्जन गतिविधियों में भी प्रशिक्षित करने के लिये प्रति विकासखंड 15 हजार रूपये की राशि भी स्वीकृत की गई है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार

भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 34 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5000 रूपये का पुरस्कार प्रदान किया जाता है । उनमें से प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले का नांमाकन राष्ट्रीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार हेतु भेजा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत कार्यकर्ताओं को रू0 25000.00, पच्चीस हजार रूपये एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नांकित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के लिये भारत शासन व्दारा राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ष पुरस्कृत किया गया है ।

क्रमांक	कार्यकर्ता का नाम	स्थान	वर्ष
1	श्रीमति सुमृत देवी	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केन्द्र- भौंदा, बाल विकास परियोजना बोडला जिला-कवर्धा छ.ग.	2002-03
2	श्रीमति उर्मिला यादव	आंगनबाड़ी केन्द्र - रगदा बाल विकास परियोजना चन्द्रमेंढ़ा जिला सरगुजा छ.ग.	2002-03
3	कु. अंजना सिंह	आंगनबाड़ी केन्द्र - उमरपाली-2, बाल विकास परियोजना छिन्दगढ़, जिला - दन्तेवाड़ा छ.ग.	2003-04

समेकित बाल विकास परियोजनाओं में पोषण आहार की व्यवस्था

प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली छः सेवाओं में से पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सेवा है । आंगनबाड़ी केन्द्रो में 6 माह से 6 वर्ष के सामान्य बच्चों को 80 ग्राम पूरक पोषण आहार एवं गर्भवती-शिशुवती माताओं तथा गंभीर कुपोषित बच्चों को 160 ग्राम पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों में पूरक पोषण आहार के रूप में दलिया एवं शहरी क्षेत्री में रेडी-टू-ईट पोषण आहार का वितरण किया जाता है । प्रदेश में 158 बाल विकास परियोजनाएँ स्वीकृत हैं जिनमें से 147 ग्रामीण तथा 11 शहरी बाल विकास परियोजनाएँ है । ग्रामीण आंगनबाड़ी केन्द्रो की संख्या 27913 एवं शहरी आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 1524 है । बाल विकास परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रो एवं सरगुजा जशपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत अतिरिक्त पूरक पोषण आहार केन्द्रो के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के लगभग 15.49 लाख बच्चों तथा 4.17 लाख गर्भवती व शिशुवती माताओं को प्रतिदिन लाभांवित किया जा रहा है । पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत जनवरी 2007 तक 4111.74 लाख रू. का व्यय किया गया है ।

प्रदेश में 1 अप्रैल 2007 से पूरक पोषण आहार की नवीन व्यवस्था का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतो/महिला स्व सहायता समूहों/नगरीय निकायों के माध्यम से संचालित किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की समस्त किशोरी बालिकाओं को आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम से जोड़ते हुये पूरक पोषण आहार कार्यक्रम का लाभ देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है ।

आयरन फोर्टिफाईड साल्ट

महिलाओं एवं बच्चों में आयरन की कमी को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थित बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से हितग्राहियों को आयरन फोर्टिफाईड साल्ट का प्रदाय किया जा रहा है । इसके अंतर्गत प्रतिहितग्राही को प्रतिमाह 500 ग्राम के मान से आयरन फोर्टिफाईड साल्ट, टेक होम राशन की पद्धति से दिया जा रहा है । इस योजनांतर्गत लगभग 17 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह लाभांवित किया जा रहा है । महिला एवं बाल विकास विभाग एवं भारत सरकार के 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के कार्यसमूह की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदाय किये जा रहे आयोडीन युक्त आयरन फोर्टिफाईड साल्ट के प्रदाय के कारण कुपोषण एवं एनीमिया (खून की कमी) में कमी आने के संबंध में उल्लेख किया गया है । वित्तीय वर्ष 2006-07 में जनवरी 2007 तक आयरन फोर्टिफाईड साल्ट 327.29 लाख रूपए का व्यय किया गया है ।कार्यक्रम से लगभग 17 लाख बच्चों एवं गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है ।

मिनीमाता पोषण आहार योजना

भारत शासन की एन.पी.ए.जी.योजना के अंतर्गत जिला सरगुजा में 35 किलोग्राम से कम वजन की किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क केंद्र शासन मद से 6 किलो बी.पी.एल. दर से तथा मिनीमाता योजना अंतर्गत अतिरिक्त रूप से 4 किलों ए.पी.एल. दर का चावल अर्थात कुल 10 किलोग्राम चावल प्रतिमाह प्रति हितग्राही के मान से प्रदाय किया जाता है । योजना का उद्देश्य हितग्राहियों के खानपान की आदतों में सुधार करना, उन्हें पौष्टिक खाद्य पदार्थो का महत्व व उपयोग बताना, कुपोषण से मुक्त करना तथा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर हितग्राहियों के स्वास्थ्य स्तर में निरंतर निगरानी कर अपेक्षित सुधार लाना है।योजना के क्रियान्वयन हेतु इस वित्तीय वर्ष में भारत शासन द्वारा 168.37 लाख रू. की केन्द्रीय सहायता राशि प्रदान की गई है । राज्य शासन द्वारा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में 891 लाख रू. का बजट प्रावधान किया गया है । योजना के अंतर्गत 93000 किशोरी बालिकाएँ दर्ज है जिनमें से लगभग 92908 बालिकाओं को लाभांवित किया गया है ।

महिलाओं एवं बालक-बालिकाओं के लिये अन्य कल्याणकारी योजनायें एवं संस्थायें

1. छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना

यह अभिनव योजना राज्य शासन द्वारा गत वित्तीय वर्ष से प्रारंभ की गई है । इसका उद्देश्य निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से निर्धनों के मनोबल/आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन-देन की रोकथाम करना है ।

योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को 4000.00 रूपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में दी जाती है जो कन्या की आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाती है। सामूहिक विवाह आयोजन के लिए प्रति कन्या राशि रूपये 1000.00 तक व्यय की जा सकती है। इस प्रकार योजनान्तर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 5000.00 रूपये की सहायता राशि देय होगी।

योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 250.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान उपलब्ध है। वर्ष 2005-06 में 4535 जोड़ों को लाभान्वित किया गया है तथा 248.83 राशि रूपये व्यय की गई है वर्ष 2006-07 में दिसम्बर 06 तक 1852 जोड़ों को लाभान्वित किया जाकर 92.92 लाख राशि रूपये व्यय की गई है।

2. आयुष्मति योजना

योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन परिवार की गरीब महिलाओं एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को ईलाज की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज अस्पताल/खण्ड स्तरीय चिकित्सालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी महिला को एक सप्ताह तक उपचार हेतु भर्ती रहने पर 400.00 रूपये तक तथा एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर 1000.00 रूपये तक की चिकित्सा सुविधा के तहत ईलाज,दवा,पौष्टिक आहार आदि उपलब्ध कराया जाता है। रोगी महिला के साथ आये परिचारक को भी सुविधाजनक विश्राम तथा दो समय के भोजन की सुविधा दी जाती है। योजनांतर्गत लाभांवितों की जानकारी निम्नानुसार है :-

अवधि	लाभांवित	प्राप्त बंटन	व्यय
2003-04	11445	46.71 लाख	38.96 लाख
2004-05	15527	53.75 लाख	53.53 लाख
2005-06	16927	65.84 लाख	62.96 लाख
2006-07 (दिसंबर 2006 तक)	11883	49.00 लाख	20.24 लाख

3. दत्तक पुत्री शिक्षा योजना

इस योजना के तहत गरीब बालिकाओं को जिनकी पढ़ाई का खर्च पालकों द्वारा वहन किया जाना कठिन होता है, ऐसी बालिकाओं के लिए सक्षम व्यक्तियों/समाजसेवी संस्थाओं से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर उन्हें शालाओं में प्रवेश दिलाकर उनको निरन्तर शिक्षा दिलाने का प्रयास किया जाता है। योजनान्तर्गत प्राथमिक शाला में पढ़ने वाली बालिका के लिए रूपये 300.00 प्रति वर्ष तथा माध्यमिक शाला में पढ़ने वाली बालिका के लिए रूपये 400.00 प्रतिवर्ष की सहायता जो कि नगद राशि के अलावा कपड़े, पुस्तक आदि के रूप में हो सकती है, उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। लाभांवित बालिकाओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

अवधि	लाभांवित
2003-04	35654
2004-05	40453
2005-06	62869
2006-07 (दिसंबर 06 तक)	113381

4. महिला जागृति शिविर

ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिला स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागृत करना, विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक एवं सक्रिय बनाना तथा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरूद्ध महिलाओं को जागृत व संगठित करना है। आयोजित शिविरों एवं लाभांवितों की जानकारी निम्नानुसार है:-

अवधि	आयोजित शिविर	लाभांवित	प्राप्त बंटन	व्यय
2003-04	1305	4.49 लाख	51.50 लाख	45.99 लाख
2004-05	1006	5.15 लाख	57.50 लाख	53.02 लाख
2005-06	1328	4.79 लाख	66.00 लाख	59.60 लाख
2006-07 (दिसंबर 06 तक)	621	2.24 लाख	67.00 लाख	22.67 लाख

5. स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

महिला एवं बच्चों के विकास तथा कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने, इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने तथा उन्हें महिला एवं बाल कल्याण की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्रदान करने /आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु ''महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान नियम 2005'' लागू किये गये हैं। इसके तहत विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों को निम्नलिखित गतिविधियों के लिए अनुदान दिये जाने का प्रावधान है :-

अ. **बाल कल्याण गतिविधियों हेतु अनुदान** - बालवाड़ी सह दिवस देखभाल केन्द्र,झूलाघर, अनाथ/निराश्रित बच्चों के लिए बाल गृह, बाल विकास केन्द्र, बच्चों के कल्याण/विकास के लिए सृजनात्मक कार्य आदि ।

ब. **महिला कल्याण गतिविधियों हेतु अनुदान** - शार्टहैण्ड/टायपिंग प्रशिक्षण, हेल्प लाईन सह परामर्श केन्द्र, निराश्रित महिला/मानसिक विक्षिप्त महिलाओं के लिए महिला गृह, महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं के कल्याण/विकास के लिए सृजनात्मक कार्य, प्रदेश के बाहर स्थित उत्कृष्ट प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को प्रशिक्षण आदि।

स. **विविध अनुदान** - महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य, अन्य विविध कार्य/गतिविधि जो उपरोक्त गतिविधियों में शामिल न हो ।

स्वैच्छिक संगठनों को निर्धारित आवर्ती लागत का 75 प्रतिशत एवं अनावर्ती लागत का 90 प्रतिशत तक अनुदान सहायता के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है । प्रदेश में 83 विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुदान दिया जाता है।

6. राज्य वीरता पुरस्कार योजना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के बच्चों को किसी घटना विशेष में उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता, साहस एवं बुद्धिमत्ता के लिए पुरस्कृत करने हेतु राज्य वीरता पुरस्कार योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना का क्रियान्वयन राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार के तहत 10 हजार रूपये की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र तथा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । वर्ष 2004-05 में 05 बच्चों, वर्ष 2005-06 में 04 बच्चों को एवं वर्ष 2006-07 में निम्नलिखित 05 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है :-

1. कु. घनिष्ठा नवरंगे, धमतरी
2. मा. राकेश कुमार लकड़ा, कोरबा
3. कु. भक्ति कर, रायपुर
4. मा. रविन्द्र हलधर, दंतेवाड़ा
5. मा. मिथिलेश , कोरबा

7. शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक/बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति

राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार/राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित बालक/बालिका को अध्ययन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिये छात्रवृत्ति नियम लागू किये गये हैं। पुरस्कार प्राप्त बालक/बालिका को स्कूल शिक्षा के दौरान 200.00 प्रतिमाह तथा महाविद्यालय शिक्षा के दौरान रूपये 500.00 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। यह योजना भी राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2004-05 में 10 बच्चों तथा 2005-06 में 17 बच्चों के लिये छात्रवृत्ति की राशि जारी की गई की है । वर्ष 2006-07 में 26 बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि जारी की गई है।

8. महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन

महिलाओं को संगठित करने, उन्हें समूह में छोटी-छोटी बचत करने एवं अपनी छोटी-मोटी जरूरतों की पूर्ति हेतु समूह में ही न्यूनतम दर पर लेनदेन करने के लिए सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करने तथा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रदेश में स्व-सहायता समूहों का गठन प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 72 हजार 285 महिला स्वयं सहायता समूह गठित किये गये है, जिनके तहत् लगभग 8.70 लाख

महिलाऐं संगठित हुई है तथा इन समूहों व्दारा अब तक लगभग 35.98 करोड़ रूपये की राशि बचत की गई है। इनमें से 64 हजार 53 समूहों द्वारा बैंक में खाते खोले जा चुके है। इन समूहों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ने के प्रयास भी किये जा रहे है। इसके अलावा बैंकों से लिन्केज के प्रयास भी जारी है। प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान के संचालन का कार्य भी संपादित किया जा रहा है।

शासकीय संस्थाएं

9. नारी निकेतन

16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याओं, विधवा, निराश्रित, परित्यक्ता, अविवाहित माताओं, तिरस्कृत व बेसहारा, समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा उनके निःशुल्क परिपालन व पुर्नवास के लिए प्रदेश में रायपुर, सरगुजा एवं दंतेवाड़ा में नारी निकेतन संचालित है। संस्था में इन महिलाओं के निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुर्नवास की व्यवस्था की जाती है। इन संस्थाओं के माध्यम से वर्ष 2006-07 में माह दिसंबर 2006 तक 15 महिलाएं एवं 9 किशोरी बालिकायें तथा 10 बच्चे लाभांवित किये गये है।

10. शासकीय बाल संरक्षण गृह

कुष्ठ रोगियों के 18 वर्ष आयु तक के स्वस्थ बच्चों को उनके माता-पिता से अलग रखकर उन्हें स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित इस संस्था में उन्हें आवास, शिक्षण, भोजन, वस्त्र तथा प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है। प्रत्येक केन्द्र में 50 बालक/बालिका के रहने की व्यवस्था है। प्रदेश में 5 बाल संरक्षण गृह क्रमशः बालकों के लिए कवर्धा, जगदलपुर तथा दुर्ग एवं बालिकाओं के लिए बिलासपुर तथा रायपुर में संचालित है। वर्ष 2006-07 में माह दिसंबर 2006 की स्थिति में 96 बालिकाएँ तथा 88 बालक इन संस्थाओं में निवासरत है।

11. शासकीय झूलाघर

निम्न मध्यम आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए प्रदेश में 2 शासकीय झूलाघर क्रमशः बिलासपुर एवं रायपुर में संचालित किये जा रहे है। इन झूलाघरों के माध्यम से वर्ष 2006-07 में माह दिसंबर 2006 की स्थिति में 50 बच्चे लाभान्वित हो रहे है।

12. बालवाड़ी सह-संस्कार केन्द्र

वर्तमान में प्रदेश में 06 वर्ष आयु तक के बच्चों के मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए 02 शासकीय बालवाड़ी सह-संस्कार केन्द्र क्रमशः रायपुर एवं बिलासपुर में संचालित है। केन्द्र के माध्यम से महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इन केन्द्रों के माध्यम से वर्ष 2006-07 में माह दिसंबर 2006 की स्थिति में 65 बच्चे तथा 30 महिलाऐं लाभान्वित हो रही है।

13. मातृ–कुटीर

इस योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों व निराश्रित महिला को एक साथ परिवार के रूप में गठित करके पारिवारिक वातावरण निर्मित करना है ताकि बच्चों को धात्री माँ का व महिला को बच्चो का स्नेह मिल सके। संस्था में माँ एवं बच्चों के शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य की देखभाल आदि की सुविधा मुहैया करायी जा रही है। बच्चे वयस्क होने और स्थापित होने तक संस्था में रहते है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिलासपुर तथा राजनांदगांव में मातृ कुटीर संचालित है जिसके माध्यम से 3 बच्चे लाभान्वित हो रहे है। गत वित्तीय वर्ष में दुर्ग एवं जगदलपुर में मातृ–कुटीर संस्था के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

केन्द्र शासन की अन्य योजनायें

14. कामकाजी महिलाओं के लिए महिला वसति गृह

अपने घरों से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं को सस्ता एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र शासन द्वारा बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिला के लिए हॉस्टल भवनों (महिला वसतिगृह) के निर्माण/विस्तार हेतु स्वैच्छिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारों/शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता भूमि लागत के 50 प्रतिशत अंश तथा हॉस्टल भवन के निर्माण की लागत के 75 प्रतिशत अंश तक प्रदान की जाती है। प्रदेश में वर्तमान में 8 महिला वसति गृहों का संचालन स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके माध्यम से दिसंबर 2006 की स्थिति में 199 महिलायें लाभान्वित की जा रही है।

15. स्वाधार

यह योजना विपत्ति ग्रस्त महिलाओं की सहायता एवं पुर्नवास हेतु प्रारम्भ की गई है। इसका क्रियान्वयन राज्य सरकार, उसके अधीन उपक्रमों, स्थानीय नगरीय निकायों, प्रतिष्ठित लोक/निजी न्यासों अथवा स्वैच्छिक संगठनों व्दारा किया जा सकता है। योजना अन्तर्गत विभिन्न घटकों में यथा भूमि कय, भवन निर्माण, स्वाधार केन्द्र के प्रबंधन, अन्त:वासियों के भोजन, आश्रय, वस्त्र, चिकित्सा, परामर्श सेवाओं, पुर्नवास हेतु प्रशिक्षण, हेल्प लाइन सुविधा आदि हेतु सहायता शामिल है। यह सहायता किसी विशिष्ट घटक हेतु अथवा समग्र रूप से परियोजना के रूप में प्राप्त की जा सकती है। योजनांतर्गत स्वैच्छिक संगठन राहौद शिक्षण समिति जिला जांजगीर–चांपा के स्वाधार केन्द्र संचालन संबंधी प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है ।

16. स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य सहायता अनुदान

योजनान्तर्गत महिला एवं बाल विकास के क्षे्त्र में ऐसे कार्यकलापों को शुरू करने के लिए जो विभाग के अन्य किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं है, के लिए, विभिन्न अभिकरणों यथा स्वैच्छिक संगठन/संस्थान,विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थायें, जिनमें केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय प्राधिकरणों/सहकारी संस्थाओं के द्वारा स्थापित एवं वित्त पोषित संस्थायें एवं संगठन शामिल है, को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । आवर्ती तथा अनावर्ती मद में अनुमोदित लागत के 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा शेष 10 प्रतिशत संबंधित अभिकरणों को वहन करना होता है ।

इस योजना के तहत स्त्रोत क्षेत्र में अनैतिक व्यापार की रोकथाम तथा गंतव्य क्षेत्र में पीड़ित की सहायता एवं पुर्नवास हेतु प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन सहायता महिला मंडल रायपुर का परियोजना प्रस्ताव केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत हुआ है ।

17. **स्वयंसिद्धा-(एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम)**

महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना भारत शासन की स्वीकृति से प्रदेश के चयनित 17 विकासखंडो में लागू की गई है। योजनान्तर्गत प्रत्येक विकासखंड में 100 महिला स्व-सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। समूह को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण व अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही है। 17 विकासखण्डों में योजना अनुरूप गठित 1634 महिला स्वासहायता समूहों में 21857 महिलाओं को जोड़ा गया है एवं इनके पास 1.30 करोड़ रूपये की राशि बचत के रूप में उपलब्ध है। 1313 समूहों के द्वारा आर्थिक गतिविधियां भी प्रारम्भ कर दी गई है।

राज्य महिला आयोग

प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन दिनांक 24.3.2001 को किया गया है । आयोग के अध्यक्ष पद पर माननीय श्रीमती सुधा वर्मा तथा श्रीमती शकुंतला सिंह, श्रीमती हेमलता साहू एवं श्रीमती शताब्दी पांडे सदस्य के रूप में कार्यरत है ।

आयोग का कार्यः-

(अ) आयोग निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं भी कृत्यों का पालन करेगा, अर्थातः-

- महिलाओं के लिए संविधान तथा अन्य विधियों के अधीन उपबंधित संरक्षणों से संबंधित समस्त मामलों का अन्वेषण तथा परीक्षण करना ।
- राज्य सरकार को वार्षिक रूप से तथा ऐसे अन्य समयों पर, जैसा कि आयोग उचित समझे, ऐसे संरक्षणों के कार्यान्वयन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
- संविधान तथा अन्य विधियों में महिलाओं के संबंध में किए गए उपबंधों के उल्लघंन के मामलों को समुचित प्राधिकारियों तक ले जाना ।
- महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना तैयार करने संबंधी प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना ।
- ऐसे मुकदमों को धन देना, जिनमें ऐसे मुद्दे अन्तर्वलित है जो महिलाओं के बड़े समूह पर प्रभाव डालते है ।
- निम्नलिखित के संबंध में गहन अध्ययन करना :-
  1. राज्य की महिलाओं की आर्थिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, इसमें विशिष्टतया आदिवासी जिलों तथा ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो महिलाओं की साक्षरता, मृत्यु दर तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से कम विकसित है।
  2. वे परिस्थितियां जिनमें महिलाएं कारखानों, स्थापनाओं, निर्माण स्थलों तथा वैसी ही अन्य स्थितियों में कार्य करती है और उक्त क्षेत्रों में महिलाओं की प्रास्थिति में सुधार हेतु विशिष्ट रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को सिफारिश करना ।

- राज्य में या चुने हुए क्षेत्रों में, महिलाओं के विरूद्ध उन समस्त अपराधों की, जिनके अंतर्गत महिलाओं के विवाह तथा दहेज, बलात्कार, अपहरण, छेड़छाड़, महिलाओं के अनैतिक व्यापार से संबंधित मामले तथा प्रसव करवाने या नसबंदी करवाने के समय चिकित्सीय उपेक्षा, गर्भधारण या शिशु जन्म से संबंधित चिकित्सीय हस्तक्षेप के मामलों में समय-समय पर जानकारी संकलित करना ।
- महिलाओं के प्रति अत्याचारों के विरूद्ध संपूर्ण राज्य में या विर्निदिष्ट क्षेत्रों में लोकमत जुटाने के लिए राज्य प्रकोष्ठ और जिला प्रकोष्ठों, यदि कोई हों, के साथ समन्वय करना जिससे ऐसे अत्याचारों संबंधी अपराध की शीघ्र रिपोर्ट की जाने तथा पता लगाये जाने और ऐसे अपराधों के विरूद्ध लोकमत जुटाने में सहायता मिलेगी ।
- निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें प्राप्त करना :-

1. महिलाओं पर अत्याचार और महिलाओं के विरूद्ध अपराध ।
2. महिलाओं को उनके न्यूनतम मजदूरी, प्राथमिक स्वास्थ्य और प्रसूति सुविधाओं से संबंधित अधिकारों से वंचित करना ।
3. महिलाओं के संबंध में, राज्य सरकार के नीतिगत विनिश्चयों का पालन न किया जाना ।
4. परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं और वैश्यावृत्ति करने के लिए विवश की गई महिलाओं का पुनर्वास ।
5. ऐसी महिलाओं पर जो अभिरक्षा में है, अत्याचार और उन्हें समुचित उपचारी उपाय के लिए संबद्ध प्राधिकारियों तक ले जाना।

- निर्धन महिलाओं को विधिक परामर्श देने और ऐसी महिलाओं को विधिक सहायता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए राज्य के गैर सरकारी संगठनों को सहायता करना, प्रशिक्षित करना और प्रेरित करना ।
- किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा में रखने के अन्य स्थान का, जहां महिलाओं को कैदियों के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना और यदि आवश्यक समझा जाए तो उपचारी कार्यवाही के लिए संबंद्ध प्राधिकारियों तक ले जाना ।
- किसी अन्य ऐसे मामले के संबंध में कृत्यों का पालन करना जो कि राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए ।

राज्य शासन द्वारा राज्य महिला आयोग हेतु वर्ष 2006-07 के लिए 68.01 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है ।

राज्य समाज कल्याण बोर्ड

महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ सहभागिता एवं समाज कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ प्रदेश में राज्य समाज कल्याण बोर्ड गठन किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष श्रीमती हेमलता चन्द्राकर के अलावा 18 अन्य सदस्य कार्यरत है। राज्य शासन द्वारा राज्य समाज कल्याण बोर्ड के लिए इस वर्ष राज्यांश के रूप में राशि रूपये 18.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है ।

छत्तीसगढ़ महिला कोष

छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यो को बढ़ावा देने तथा महिला स्वसहायता समूहों के गठन, सुदृढ़ीकरण एवं उन्हें आर्थिक गतिविधियों के लिये वित्तीय सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य के लिये छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन छत्तीसगढ़ सोसायटीज राजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत 02.02.2002 को किया गया है ।

कोष के लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

- महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये ऐसी गतिविधियों का संचालन करना/करवाना जिससे महिला/समूह को वित्त पोषण, प्रशिक्षण तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सके तथा उन्हें बढ़ावा मिल सके ।
- आत्म निर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तथा महिला सशक्तिकरण के लिए महिला समूह के गठन में पहल तथा सहभागिता ।
- विद्यमान शासकीय तंत्र को संवेदनशील एवं महिला उन्मुख बनाना तथा वित्तीय संस्थाओं तक महिलाओं की पहुॅच/उनमें भागीदारी सुनिश्चित करना ।
- ऋण और उसके उचित प्रबंधन, ऋण पद्धतियों का विकास/प्रसार तथा महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु अनुसंधान, अध्ययन विश्लेषण करना/कराना।
- महिला संगठनों/संस्थाओं/स्वसहायता समूह के बीच आपसी सहयोग के तंत्र को प्रोत्साहित करना, उनके बीच अनुभव तथा जानकारी के आदान प्रदान को बढ़ावा देना ताकि उनमें अपनी समस्याओं के निवारण हेतु समूहिक प्रयास का कौशल विकसित किया जा सके।
- अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय संस्थानों, केन्द्र शासन/राज्य शासन एवं स्वयं-सेवी संस्थाओं द्वारा सुपोषित/संचालित महिलाओं के विकास कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं को कार्यान्वित करना/कार्यान्वयन में सहयोग करना ।

छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना :-

छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2003 से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की बचत राशि का न्यूनतम 4 से 10 गुना अथवा अधिकतम 10000/- रूपये तक का ऋण प्रथम बार में प्रदान किया जाता है । जिन स्वसहायता समूहों द्वारा ली गई ऋण की राशि नियत अवधि में कोष को वापस कर दी जाती है उन स्वसहायता समूहों को आवश्यकतानुसार राशि रूपये 10000 से 20000 तक का ऋण 500/- के गुणांक में पुन: प्रदान किये जाने का प्रावधान है। राशि रूपये 5000 तक के ऋण की वापसी छ: समान किश्तों में 9 माह में तथा राशि रूपये 10000 ये 20000 तक के ऋण की वापसी 12 समान किश्तों में 15 माह में किया जाता है ।

योजना के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष व्दारा स्वैच्छिक संगठनों को 5.5 प्रतिशत एवं स्वयं सहायता समूहों को 6.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। वर्षवार समूहों को प्रदाय ऋण की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	**समूह संख्या जिन्हें ऋण प्रदान किया गया**	**ऋण की राशि**
2003-04	688	32.14 लाख
2004-05	1826	92.80 लाख
2005-06	2112	141.10 लाख
2006-07 (माह दिसंबर 06 तक)	721	63.08 लाख
योग	**5347**	**329.13 लाख**

अन्य विविध कार्यवाहियाँ

1. **<u>छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005</u> :-** महिलाओं को टोनही के रूप में चिन्हित कर उन्हें उत्पीड़ित किये जाने की घटनाओं को रोकने एवं इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन हेतु छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लागू किया गया है।

   इसमें टोनही की पहचान, उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने या नुकसान पहुँचाने, कथित टोनही महिला के उपचार या नियंत्रण आदि के लिये दोषी व्यक्ति को तीन से पांच वर्ष तक के कठोर कारावास व जुर्माने से दंडित किये जाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत समस्त अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में विचार योग्य होगें तथा सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगें ।इस प्रस्तावित कानून के अंतर्गत आरोपित व्यक्तियों से दण्ड के रूप में वसूल किया गया जुर्माना पूरा या आंशिक पीड़ित को मुआवजे के रूप में दिया जा सकेगा ।

2. **<u>दहेज प्रतिषेध अधिनियम का कियान्वयन</u>**

   दहेज प्रथा पर रोक लगाने हेतु **दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961** तथा **The Dowry Prohibition(Maintenance of Lists of Pl The Bride & Bridegroom)Rules, 1985** प्रभावशील है । दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कंडिका 10 अनुसार राज्यों को योजना कियान्वयन हेतु कार्यवाही किया जाना है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 दिनांक 31.03.2004 को लागू की गई है। दहेज प्रतिषेध नियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तर पर मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी तथा जिला स्तर पर दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामांकित किये गये है।

   छत्तीसगढ़ प्रदेश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम हेतु राज्य के बजट में 14 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। दहेज प्रतिषेध अंतर्गत 26 नवंबर को दहेज प्रतिषेध दिवस पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यकम आयोजित किए गए हैं।

3. छ.ग.शासन महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना कमांक 25-ए/2152/मबावि/सावि/06, दिनांक 23.1.06 के द्वारा दहेज दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (क.28 सन् 1961) की धारा 8-ख की उपधारा (4) के तहत जिलों में पदस्थ दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को सलाह देने के उद्देश्य से सलाहकार बोर्ड गठित किये गये है ।
4. प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओ की सतत् मॉनिटरिंग करने, महिला अत्याचार के विरूद्ध कारगर कार्यवाही करने एवं पीड़ित महिलाओं को समुचित मार्गदर्शन व सहायता दिलाने के लिए प्रत्येक जिले में जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न निवारण समिति गठित की गई है ।
5. छ.ग.शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश कमांक 133-1829 /मबावि/सावि/05, दिनांक 7.12.05 द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत जिले में संचालित शासकीय संस्थाओं के प्रबंध प्रशासन एवं संचालन संबंधी कार्यो में समय-समय पर परामर्श देने हेतु परामर्शदात्री समितियों का गठन किया गया है ।

वर्ष 2006-07 का बजट एक समग्र विश्लेषण

विभागीय बजट वर्ष 2006-07 को विश्लेषण हेतु दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:-

1. आयोजनेत्तर बजट
2. आयोजना बजट

1. आयोजनेत्तर बजट -

वित्तीय वर्ष 2006-07 में विभाग के राजस्व मद में कुल 327.26 लाख रूपये का प्रावधान था, जिसके विरूद्ध प्राप्त व्यय विवरण के आधार पर माह जनवरी 2007 तक 161.87 लाख रूपये व्यय किये गये है ।

2. आयोजना बजट -

आयोजना मद में राजस्व व्यय के अंतर्गत विभागीय मांग संख्या 2235-2236 के अंतर्गत 32902.63 लाख रूपये के बजट प्रावधान के विरूद्ध प्राप्त व्यय विवरण के आधार पर जनवरी 2007 तक 9621.57 लाख रूपये की राशि व्यय कर ली गई है । उपरोक्त प्रावधानों व व्यय के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आंगनबाड़ी भवनों, परियोजना कार्यालय सह गोदाम तथा जिला स्तरीय संसाधन केन्द्र, नारी निकेतन भवन के निर्माण एवं सुधार के लिये शीर्ष 4235 के अंतर्गत कुल 1622.00 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध व्यय विवरण के आधार पर जनवरी 2007 तक 753.00 लाख रूपये व्यय किये गये है ।

उपरोक्त बजट प्रावधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के अंतर्गत प्राप्त बजट प्रावधान भी सम्मिलित है । आयोजना बजट के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत संचालित योजनाओं का बजट प्रावधान भी सम्मिलित है ।

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत आईसीडीएस परियोजना / स्वयंसिद्धा/ प्रशिक्षण तथा सूचना शिक्षा संचार के अंतर्गत 10712.86 लाख रूपये के बजट प्रावधान के विरूद्ध जनवरी 2007 तक 4850.38 लाख रूपये व्यय किये गये है ।

वित्तीय प्रावधान एवं प्रगति

आयोजनेत्तर बजट

अनुक्रमांक	योजना/गतिविधियों का नाम	कुल प्रावधान (राशि लाख रू. में)	व्यय स्थिति जनवरी 2007 तक (राशि लाख रूपये में)
अ.	**राजस्व अनुभाग**		
1	निर्देशन प्रशासन	162.50	90.81
2	बाल कल्याण	68.51	32.88
3	महिला कल्याण	77.25	29.08
4	विविध अनुदान	7.00	0.60
5	अन्य व्यय	12.00	8.50
	योग आयोजनेत्तर	**327.26**	**161.87**

वित्तीय प्रावधान एवं प्रगति

आयोजना बजट

अनुक्रमांक	योजना/गतिविधियों का नाम	कुल प्रावधान (राशि लाख रू.में)	व्यय स्थिति जनवरी 07 तक (राशि लाख रूपये में)
अ.	**राजस्व अनुभाग**		
1	निर्देशन प्रशासन	14.00	0.65
2	बाल कल्याण	10821.84	4840.97
3	महिला कल्याण	789.99	232.30
4	विविध अनुदान	29.00	9.78
5	अन्य व्यय	250.00	98.84
	योग	**11904.83**	**5182.54**
	पोषण आहार कार्यक्रम		
1	न्यूनतम क्षेत्र में विशेष पोषण आहार कार्यक्रम	106.80	0.00
2	न्यूनतम क्षेत्र में विशेष पोषण आहार कार्यक्रम	10000.00	2188.80
3	आदिवासी क्षेत्र में विशेष पोषण आहार	7600.00	1533.81
4	गंदी बस्तियों में विशेष पोषण आहार	2400.00	716.42
5	मिनीमाता कार्यक्रम	891.00	0.00
	योग	**20997.80**	**4439.03**
ब.	**पूंजीगत**		
1	भवन निर्माण पर पूंजीगत व्यय	1622.00	753.00
	योग	**1622.00**	**753.00**
	योग आयोजना	**34524.63**	**10374.57**

महायोग	**आयोजना**	**34524.63**	**10374.57**
	आयोजनेत्तर	**327.26**	**161.87**
	योग	**34851.89**	**10536.44**